मा. 111/12 नं. 57/23

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/23	… पत्रावली/प्रपत्र … पेश हुआ / हुई … दर्ज किया जावे। प्रतिवादी / … को सम्मन / नोटिस जारी … 4/5/2023 को पेश होवे … एवं उप खण्ड अधिकारी, …	
4/5/23	पत्रावली पेश / अप्रार्थीगण को सम्मन बाद तामील प्राप्त / न्यायालय समय पर अप्रार्थीगण को तीन बार आवाजें लगाई गई लेकिन अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं न्यायालय समय समाप्त होने जा रहा है। अतः अप्रार्थीगण विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14 5 23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, …	
14/5/23	पत्रावली पेश / वकील प्रार्थी कि ~~बहस~~ सुनी गई ~~बहस~~ पर मनन किया ~~निर्णय~~ पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, …	

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः– राजीव शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 47/2023

प्रार्थीः–

1 हमीराराम पुत्र बुधाराम
जाति जाट निवासी गगाडी तहसील तिंवरी

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1 अमेदाराम पुत्र श्री चेनाराम
2 किशनाराम पुत्र श्री हुक्माराम
3 चुनाराम पुत्र श्री सोनाराम
4 टीकुराम पुत्र श्री सोनाराम
5 बगतु पत्नी श्री ईसराम
जाति जाट निवासी गगाडी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 पत्थरगढी बावत्</u>

उपस्थित –

प्रार्थी– अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी
अप्रार्थी – अप्रार्थी संख्या 1 से 5 विरूद्व एकपक्षीय

दिनांकः– 12-4-2023

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आषय का प्रस्तुत किया कि– तहसील तिंवरी के ग्रम गगाडी की सरहद में खेत खसरा नम्बर 490/447 रकबा 00.0934 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/448 रकबा 00.1392 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के चारों ओर कणा माठ है जो अप्रार्थीगण खुर्द–बुर्द करके प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने हेतु आमदा है। इसीलिए प्रार्थी अपनी भूमि की पेमाईस करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। वक्त पेमाइस अप्रार्थीगण ने विवाद पैदा कर दिया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को काफी समझाइस भी की लेकिन अप्रार्थीगण नही माने इसीलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भमि की सुरक्षा हेतु पत्थर गढी करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि ग्रम गगाडी के खसरा नम्बर 490/447 रकबा 00.0934 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/448 रकबा

00.1392 हैक्टेयर भूमि हैक्टयर भूमि की राजस्व टीम द्वारा पेमाइस करवा करके चारो तरफ पत्थर गढी करवाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुए शामिल किए गए । अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई।

एक पक्षीय प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की सीमाओं को खुर्दबुर्द कर रहे है इसलिए राजस्व टीम द्वारा पेमाईस करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे।

आदेश

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एंव प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली मे उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 490/447 रकबा 00.0934 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 492/448 रकबा 00.1392 हैक्टेयर मौजा ग्राम गगाडी बाबत् तहसीलदार तिंवरी टीम गठित की जाकर पूर्ण रूप से पेमाइस कार्य किया जाकर पत्थर गढी की जावें। पत्थरगढी कार्य करते वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसिया

आज दिनांक 12-4-23 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां